न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 01/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा– रामगढ़ शेखावाटी, जिला –सीकर।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. गिरधारी लाल पुत्र पूरारान बलाई, ग्राम– ठिमोली, तहसील–रामगढ़ शेखावाटी, सीकर।

अप्रार्थी/ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार अग्रवाल द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी गिरधारी लाल को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में गिरधारी लाल बलाई पुत्र पूरारान बलाई, के नाम मकान ग्राम– ठिमोली, तहसील– रामगढ़ शेखावाटी, जिला–सीकर में स्थित भूमि एवं भवन जिसकी सीमाएं उत्तर में भूमि भादरमल जोया, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में सार्वजनिक चौक, पश्चिम में भूमि राजेश जोया को बंधक रखकर 2,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये दौ लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 25.10.2016 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बकाया राशि पांच किश्तों में जमा करवा देगा लेकिन जमा करवाने के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

3 पत्रावली का भली भाति अवलोकन किया गया।

4 प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र मे जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप मे निर्दिष्ट किया गया है।

5 प्रकरण मे प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **25.10.2016** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6 अत: The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 मे प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी **गिरधारी लाल** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे बंधक **गिरधारी लाल बलाई पुत्र पूराराम बलाई** के नाम मकान **ग्राम– ठिमोली, तहसील– रामगढ शेखावाटी, जिला–सीकर में स्थित भूमि एव भवन जिसकी सीमाए उत्तर में भूमि भादरमल जोया, दक्षिण मे आम रास्ता, पूर्व मे सार्वजनिक चौक, पश्चिम में भूमि राजेश जोया** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण मे किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियो / कर्मचारियो के वेतन भत्ते व विधि व्यय आदि का भुगतान नियमो मे देय है, जो सम्बन्धित बैक / वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।

7 आदेश आज दिनांक **13 मार्च, 2018** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner